संख्या-13/2023/739-58-2023/1689340

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान सं0-83 में लेखाशीर्षक-2401-789-01-0109- "पर ड्रॉप मोर क्राप "- माइक्रो इरीगेशन योजना (के. 60/रा.40-के.) के अन्तर्गत रू0 896.32 लाख तथा लेखाशीर्षक-2401-789-89-8909- "पर ड्रॉप मोर क्राप "-माइक्रो इरीगेशन योजना के अन्तर्गत रू0 1356.42 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 2252.74 लाख (रू0 बाइस करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार मात्र) को प्राविधान एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-153/बजट/2022-23, दिनांक 13.03.2023 के सन्दर्भ में शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-बजट-1-608/ई-1/दस-2023, दिनांक-24.03.2023 एवं पृष्ठांकन संख्या-735 /58-2023-1689340, दिनांक-24.03.2023 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान सं0-83 में लेखाशीर्षक-2401-789-01-0109-"पर ड्रॉप मोर क्राप "- माइक्रो इरीगेशन योजना (के. 60/रा.40-के.) के अन्तर्गत रू0 896.32 लाख तथा लेखाशीर्षक-2401-789-89-8909- "पर ड्रॉप मोर क्राप "-माइक्रो इरीगेशन योजना के अन्तर्गत रू0 1356.42 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 2252.74 लाख (रू0 बाइस करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार मात्र) को स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों/योजना की गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3. पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित बचत की मदों में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व होगा।

6. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

7- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कारण/मुख्य वित्त नियंत्रक /आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

8- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

9- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

10- व्यय की गयी धनराशि का औचित्यो/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

11- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

12- उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

13- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक/वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

15- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

16- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

17- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षरू 2401007890109 ("पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007890109 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना (के.60/रा.40-के.)	27 सब्सिडी	8,54,71,000 (रुपये आठ करोड़ चौवन लाख इकहत्तर हजार मात्र)
2	083	2401007890109 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	41,61,000 (रुपये इकतालीस लाख इकसठ हजार मात्र)
	कुल			**8,96,32,000 (रुपये आठ करोड़ छियानबे लाख बत्तीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401007898909 ("पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007898909 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना	27 सब्सिडी	13,28,67,000 (रुपये तेरह करोड़ अट्ठाईस लाख सड़सठ हजार मात्र)
2	083	2401007898909 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना	42 अन्य व्यय	27,75,000 (रुपये सत्ताईस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**13,56,42,000 (रुपये तेरह करोड़ छप्पन लाख बयालीस हजार मात्र)**

महायोग	22,52,74,000 (रुपये बाईस करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-13/2023/739- 58-2023 /1689340, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ-द्वारा निदेशक।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।